

# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2/टंकण परीक्षा/वो-11/2018/347

दिनांक :- 15-02-19

संयुक्त निदेशक

संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल, (समस्त)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (समस्त)

**विषय:-** अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों को कम्प्युटर टंकण परीक्षा के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(1)कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 28.05.2018 द्वारा मृतक आश्रितों को कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा में शिथिलन का अवसर दिये जाने हेतु प्रशासनिक विभाग को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप माह जून-2018 से नवम्बर-2018 तक तीन वर्ष की सेवा उपरान्त भी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के मॉक टंकण टेस्ट हेतु निदेशालय द्वारा दिनांकवार कार्यक्रम जारी कर कार्मिकों को शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर कार्यालय उपस्थिति होने हेतु अधिनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था। इस क्रम में शासन द्वारा लगभग सभी कार्मिकों का परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है।

राज्य सरकार के पत्रांक प.12(2) शिक्षा-2 /टंकण परीक्षा/2016 दि. 09.01.19 एवं कार्यालय के पत्रांक शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2/टंकण परीक्षा/वो-11/18/206 दि. 16.01.19 द्वारा परिपत्र जारी कर अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जब भी परीक्षा कार्यक्रम निदेशालय द्वारा जारी किया जावेगा इससे पूर्व उक्त समस्त कार्मिकों को व्यक्तिशः जरिये रजिस्टर्ड डाक तथा संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से मॉक टेस्ट हेतु पूर्ण तैयारी तथा वांछित कम्प्युटर योग्यता के साथ कार्मिकों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किए जाने हेतु लिखा गया था।

उक्त निर्देश प्रदान किए जाने के पश्चात भी उक्तानुसार बिना जाँच परिक्षण/कार्यवाही किए निदेशालय को प्रथम एवं द्वितीय मॉक टंकण टेस्ट में सम्मिलित किए जाने हेतु आवेदन/प्रार्थना पत्र सीधे ही कार्मिकों के स्वयं के स्तर/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर/प्रधानाचार्य स्तर/प्रधानाध्यापक स्तर/ जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त हो रहे हैं। इस क्रम में अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार एवं निदेशालय के पत्र दिनांक 09.01.19 एवं 16.01.19 अनुसार मृतक आश्रितों को कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा में शिथिलन का दूसरा एवं अंतिम अवसर प्रदान किए जाने से पूर्व ऐसे कार्मिकों को व्यक्तिशः जरिये रजिस्टर्ड डाक तथा संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से मॉक टेस्ट हेतु पूर्ण तैयारी तथा वांछित कम्प्युटर योग्यता अर्जित होने संबंधित कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही उक्त कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों सहित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाये जावें।

साथ ही लेख है कि जो कार्मिक शासन द्वारा दिनांकवार आयोजित हुई प्रथम मॉक टंकण परीक्षा देने हेतु शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर में निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहे हैं, उन कार्मिकों के जारी परीक्षा परिणाम में शासन ने निर्देश प्रदान किए गए हैं कि ऐसे कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जावें, इस क्रम में निदेशालय द्वारा भी अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए थे। अतः जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ऐसे अनुपस्थिति कार्मिकों के नाम पुनः भिजवाने से पूर्व उक्त कार्मिकों को दिए गए कारण बताओ नोटिस की प्रति के साथ कार्मिक के प्रतिउत्तर की प्रति भी भिजवावें।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर।